न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 06/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री मक्खन लाल जैन निवासी मानगंज, स्टेशन रोड, दौसा।
विक्रेता—एम0 बी0 सन्स, मानगंज, स्टेशन रोड दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
:अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.02.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 01.10.2018 को दोपहर 02:15 बजे मैसर्सः— एम0 बी0 सन्स, मानगंज, स्टेशन रोड दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री मक्खन लाल जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक रैक में 500 ग्राम वजन में पॉली पैक धनिया पाउडर के 50 पॉली पैकिट आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे में मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पाउच 500 ग्राम धनिया पाउडर खरीदा। जिसकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 मूल पाउच 500 ग्राम धनिया पाउडर के प्रत्येक पाउच के चार पैकिट बनाकर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटों पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **A.G.**—2006 गोंद

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 03.10.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 03.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 04.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1565/एक्ट/2018/244 दिनांक 16.10.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर के लेबल पर उत्पाद से सम्बन्धित कोई भी जानकारी अंकित नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा के पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम 2011 का उल्लंघन होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा पूर्व में अन्य कम्पनी से खरीदकर उपभोक्ताओं को विक्रय किये जा रहे धनिया पाउडर में शिकायते आने के कारण हमने स्वयं ही धनिये को पिसवाकर धनिया पाउडर को पैक कर उसका विक्रय करना शुरू किया है एवं हमारे द्वारा पैकिंग में पैक धनिया पाउडर के नमूने में खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पायी गई है। खाद्य सुरक्षा के पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम 2011 की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर के लेबल पर उत्पाद से सम्बन्धित कोई भी जानकारी अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर को खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। नियमो की जानकारी होने के उपरान्त हमारे द्वारा उक्त खाद्य

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पदार्थ के लेबल पर सभी जानकारी नियमानुसार अंकित करवा दी गई है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कानून की जानकारी के अभाव में हुई गलती के लिये कम से कम शास्ति लगाने का श्रम करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1565/एक्ट/2018/244 दिनांक 16.10.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर के लेबल पर उत्पाद से सम्बन्धित कोई भी जानकारी अंकित नहीं होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री मक्खन लाल जैन निवासी मानगंज, स्टेशन रोड, दौसा, विक्रेता–एम0 बी0 सन्स, मानगंज, स्टेशन रोड दौसा पर 11000/–(अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.02.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/571-73
दिनांक:– 06.03.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री मक्खन लाल जैन निवासी मानगंज, स्टेशन रोड, दौसा विक्रेता–एम0 बी0 सन्स, मानगंज, स्टेशन रोड दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official